कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री हिन्दुस्तान इण्टरप्राइजेज, शहर बाजार, लहरपुर, सीतापुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**105 / 08, 03.03.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री हिन्दुस्तान इण्टरप्राइजेज, शहर बाजार, लहरपुर, सीतापुर द्वारा दिनांक 03.03.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

'' Whether there is a liability fo tax @12.5% on the Inter-State purchases of timber and timber products as held by the Hon'ble High Court in the case of M/s. Jai Ambay Trading Co., Gorakhpur, reported in U.S.T.I-2008, B-31. ''

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 14.08.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-08, दिनांक 01.04.2008 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि जनवरी, 2008 का रूपपत्र-24 दाखिल है तथा अस्थाई कर निर्धारण की नोटिस जारी है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी के मामले में अस्थाई कर निर्धारण की नोटिस जारी की गयी है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में प्राविधान है कि " यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, '' तभी वह विनिश्चय के लिए ग्रहण किया जायेगा। चूँकि प्रश्नगत मामले में अस्थाई कर निर्धारण की कार्यवाही कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विचारणीय रही है, ऐसी स्थिति में धारा-59 (1) के प्राविधान के अनुसार प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में प्राविधान है कि " यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, '' तभी वह विनिश्चय के लिए ग्रहण किया जायेगा। प्रार्थी के मामले में कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष अस्थाई कर निर्धारण की कार्यवाही विचारणीय होने के कारण, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधान के अनुसार प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है, जिसे अस्वीकार किया जाता है।

....2

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 11 सितम्बर, 2013

ह0 / 11.09.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।